कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरबा (छ.ग.)

क्र./1877/मान्यता /2026 कोरबा,दिनॉक 10/06/2026

प्रति

सचिव,
छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल
जिला रायपुर (छ.ग.)

विषयः–गौरव युवा मंडल तुलसी नगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर कोरबा पंजीयन क्र. 657, स्कूल कोड 332029 के संचालक श्री अरूण कौशिल द्वारा कुटरचित दस्तावेज के आधार पर मान्यता/स्कूल संचालन को निरस्त करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. कार्यालयीन पत्र कं./7178/शिकायत जॉच/2024–25 कोरबा दिनॉक 02.12.2024।
2. कार्यालयीन पत्र कं./8738/शिकायत/2024–25 कोरबा दिनॉक 17.01.2025
3. कार्यालयीन पत्र कं./9689/शिकायत/2024–25 कोरबा दिनॉक 28.02.2025
4. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/333/मान्यता/2025–26 कोरबा दिनांक 16.04.2025।
5. कार्यालयीन पत्र कं./3295/मान्यता/2025–26 कोरबा दिनॉक 15.07.2025
6. आपका पत्र क्र./2399/अशास. मान्यता/2026 रायपुर दिनांक 09.06.2026।

––00––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर कोरबा का संचालन श्री अरूण कौशिल प्राचार्य के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर विगत कई वर्षो से कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर कोरबा का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर स्कूल के मान्यता से संबंधित जांच कराया गया, और प्राचार्य को भूमि के स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज/विभागीय मान्यता प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.12.2024, 17.01.2025, 28.02.2025, 02.04.2025 के तहत् पत्र जारी किया गया था, किन्तु प्राचार्य के द्वारा संस्था की मान्यता/भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज आज दिनांक तक जमा नहीं किया गया है। जांचकर्ता अधिकारियों के समक्ष भी प्राचार्य के द्वारा स्कूल की मान्यता/भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया है। न्यायालय तहसीलदार कोरबा के द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पारित आदेश में प्राचार्य कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर कोरबा के द्वारा शाला का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। न्यायालय में प्राचार्य के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण वादभूमि ख.नं. 3/1/क/5 रकबा 0.264 हे0 को आवेदक श्री सौरभ अग्रवाल के द्वारा विधिवत् न्यायालय श्रीमान कलेक्टर कोरबा के रा.प्र.क्र. 202011050400007/अ–21/2020–21 से अनुमति लेकर क्रय किया गया है, उक्त भूमि पर अनावेदक प्राचार्य कौशिल उ.मा.शा. तुलसीनगर कोरबा के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना सीमांकन प्रतिवेदन से पुष्टी होती है। जिसके कारण ग्राम कोरबा स्थित आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख.नं.3/1/क/5 रकबा 0.264 हे0 पर अनावेदक कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर कोरबा का अवैध कब्जा प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत पेश आवेदन को स्वीकार करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

पूर्व में भी कार्यालयीन पत्र क्र./329/मान्यता/2025–26 कोरबा दिनांक 16.04.2025 के तहत प्राचार्य के द्वारा मान्यता/भूमि से संबंधित कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को संस्था क्र. 332029 का युडाईस क्र. 22051017802 को युडाईस पोर्टल में बन्द करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अशासकीय विद्यालय की मान्यता वापस लेने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.08.2025 को राखी गयी थी जिसमे कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर कोरबा के पास स्वयं का कोई भवन नहीं होने न ही पर्याप्त शिक्षक होने और इनके द्वारा आर.टी.ई के तहत कोई भी नवीन भर्ती नहीं करने के कारण संस्था को दी गयी मान्यता के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुमोदित किया गया था ।

अतः गौरव युवा मंडल तुलसी नगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय

Scanned with OKEN Scanner

तुलसी नगर कोरबा पंजीयन क्र. 657, स्कूल कोड 332029 को पूर्व में जारी की गई विभागीय अनुमति को निरस्त की जाती है, उपरोक्तानुसार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र./1878/ मान्यता /2026 कोरबा,दिनॉक 10/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. महाधिवक्ता, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर महोदय कोरबा को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा को सादर सूचनार्थ ।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सुचनार्थ।
6. जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ।
8. संबंधित नोडल प्राचार्य शा.हा.स्कूल कोहड़िया कोरबा को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/ 2379 /अशास. मान्यता/2026 रायपुर, दिनांक 09/06/2026

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला - कोरबा (छ०ग०) ।

विषय :- अशासकीय संस्था कौशिल उ० मा० वि० तुलसी नगर, कोरबा (छ०ग०) संस्था क्रमांक 332029 की मान्यता समाप्त करने बाबत् ।

संदर्भ :-1) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा (छ०ग०) का पत्र क्रमांक 786/मान्यता/2024-25, दिनांक 28/04/2025.

2) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा (छ०ग०) का पत्र क्रमांक 3295/मान्यता/2025-26, दिनांक 25/07/2025.

3) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा (छ०ग०) का पत्र क्रमांक 419/शिकायत/2026, दिनांक 17/04/2026.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से अशासकीय संस्था कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तुलसी नगर, कोरबा (छ०ग०), संस्था कोड 332029 के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदनों एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि संस्था द्वारा मान्यता प्रमाण - पत्र में उल्लिखित विभिन्न शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, साथ ही संस्था द्वारा आर० टी० ई० (RTE) के अंतर्गत विद्यार्थियों को अनियमित रूप से सम्मिलित कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने संबंधी तथ्य भी आपके द्वारा संज्ञान मे लाया गया है । इसके अतिरिक्त संस्था के भूमि स्वामित्व एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित अभिलेख भी संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा संस्था द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध मे आपके द्वारा संस्था की विभागीय अनुमति समाप्त की गई है या नहीं? उक्त संबंध यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

(सचिव द्वारा अनुमोदित)

08/06/26
उपसचिव
छ. ग. मा. शि. मण्डल,
रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरबा (छ.ग.)

क्र./7178/शिकायत जॉच/2024–25 कोरबा, दिनॉक02/12/2024

प्रति,

श्री अरूण कौशिल,
प्राचार्य, कौशिल उ.मा.वि.तुलसीनगर
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषयः– श्री गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर द्वारा संचालित कौशिल उ.मा.वि.तुलसीनगर के संबंध में शिकायत दिनॉक 26.10.2024

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि गौरव युवा मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित कौशिक उ.मा.वि. तुलसीनगर का एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र के अधीनस्थ भवन में संचालन किया जा रहा है। जिसकी शिकायत श्री शौरभ अग्रवाल निवासी अग्रसेन मार्ग मेन रोड कोरबा के द्वारा दिनॉक 26.10.2024 को इस कार्यालय में की गई है। उक्त शिकायत की जॉच दो सदस्यीय जॉच समिति गठित कर जॉच कराया गया है, जॉच अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार निम्नांकित तथ्य प्राप्त हुई है।

1. कौशिक उ.मा.वि.तुलसीनगर को एस.ई.सी.एल. के Personel Manager द्वारा हस्ताक्षरित पत्र जो कि दिनॉक 28/06/1998 को जारी किया गया है, उक्त पत्र के अनुसार हायर सेकेण्डरी स्कूल तुलसीनगर को उनके तुलसीनगर स्थित "Old Vacate Shed Of Work Shop" में विद्यालय संचालन की अनुमति दी गई है। (अनुमति पत्र संलग्न)

2. श्री सुनील कुमार मिश्रा निवासी वार्ड कमॉक 14 पम्प हॉऊस कालोनी कोरबा द्वारा जन सूचना अधिकारी महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कोरबा को दिनॉक 10.07.2023 को सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ उनके कार्यालय से कौशिल उ.मा.वि.तुलसीनगर कोरबा रजिस्टर्ड नं. 657 स्कूल कोड 332023 को स्कूल संचालन विषयक पत्र संदर्भ कमॉक/एस.ई.सी.एल./सी.जी.एम./केवी/पीएम/डीईपी/ईएसटीवी/7513/दिनॉक 28.06.1998 में जारी किये गये पत्र के संबंध में जानकारी चाही गई है।

3. उक्त सूचना के अधिकार पत्र के संबंध में कार्यालय महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र के भू राजस्व स्टाफ अधिकारी एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षरित पत्र कं./एस.ई.सी.एल./म.प्र./कोरबा/भूराजस्व/23/450 दिनॉक 14.07.2023 के अनुसार आवेदक श्री सुनील मिश्रा निवासी वार्ड कमॉक 14 पम्प हॉऊस कालोनी कोरबा द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनॉक 10.07.2023 के जवाब में स्टाफ अधिकारी (भू राजस्व) एसईसीएल कोरबा क्षेत्र द्वारा आवेदन के बिन्दू कं. 1,2 एवं 3 के जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, लेख किया गया है।

4. कौशिल उ.मा.वि.तुलसीनगर कोरबा छ.ग. द्वारा जॉच अधिकारी के समक्ष दिनॉक 21/11/2024 को प्रस्तुत लिखित बयान के बिन्दू कं.–2 में उल्लेखित किया गया है कि स्कूल भवन संचालन हेतु एस.ई.सी.एल.कोरबा के पत्र कं./एसईसीएल/सीजीएम/केवी/पीएम/ डीईपी/ईएसटीबी/98/7513 दिनॉक 28.06.98 द्वारा उनको स्कूल संचालन हेतु उक्त भवन में अनुमति दी गई थी, तथा आप के बयान के बिन्दु कं. 4 अनुसार एस.ई.सी.एल. के द्वारा 1998 के बाद से आज तक जमीन और भवन के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा एस.ई.सी.एल. के भवन पर स्कूल संचालन विषयक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

11

आपके द्वारा एसईसीएल के जिस भवन पर स्कूल संचालन की अनुमति आधार पर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, उस पत्र को ही एसईसीएल द्वारा इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, यह लिखित में दिया गया है।

अतः आप इस पत्र के प्राप्ति दिनॉक से एक सप्ताह के भीतर उक्त एसईसीएल की स्वामित्व वाले भवन में स्कूल संचालन की अनुमति विषयक पत्र कार्यालय में जमा करें। स्कूल संचालन विषयक अनुमति पत्र (NOC) जमा नहीं करने पर अथवा प्राप्त आवेदन विधी अनुसार संतोष जनक नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला—कोरबा (छ.ग.)
कोरबा, दिनॉक 09/12/2024

पृ. क्र./7179/शिकायत जॉच/2024—25
प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल पेंशन बाड़ा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय कोरबा को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. संभागीय कार्यालय छ.ग.बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
5. श्री सौरभ अग्रवाल निवासी अग्रसेन मार्ग मेन रोड कोरबा को उनके पत्र के अनुकंम में सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला—कोरबा (छ.ग.)

Kaur
2/12/2024

2/12/2024

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरबा (छ.ग.)

क्र./ 8738 /शिकायत /2024–25 कोरबा दिनॉक 17/01/2025

प्रति

श्री अरूण कौशिल,
प्राचार्य, कौशिल उ.मा.वि. तुलसीनगर,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :– कौशिल हायर सेकेण्डरी स्कूल तुलसीनगर कोरबा के संचालन के संबंध में।
संदर्भ :– साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का सन्दर्भ क्र:एस.ई.सी.एल./म.प्र./कोरबा/क्षे.का प्र/24/31 दिनांक 06.01.2025।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सौरभ अग्रवाल पिता स्व. बलबीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी अग्रसेन मार्ग मेन रोड कोरबा तहसील एवं जिला कोरबा के द्वारा आपके विद्यालय कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर कोरबा, का बिना मान्यता के फर्जी एवं कूटरचित तरीके से संचालन करने के संबंध में शिकायत किया गया था। उक्त शिकायत के संबध में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जॉच अधिकारी के समक्ष आपके द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि
1) कौशिल उ.मा.वि. तुलसीनगर कोरबा को संचालन करने के लिए 10.12.1993 को वि.क्षे.वि.प्रा. कोरबा द्वारा तुलसी नगर कोरबा में गौरव युवा मण्डल तुलसी नगर कोरबा को निःशुल्क विद्यालय चलाने की अनुमति दी गई थी। जिसके तहत् म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के आदेश क्र F-73-87/97/20-5 भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 97 के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है।
2) स्कूल भवन में कमरों की कमी हो जाने के कारण स्कूल से अलग स्थान SECL की जमीन और भवन का माँग किया गया जिस पर SECL द्वारा आदेश क्र. SECL/CGM/KB/PM/DEP/ESTB/98/7513 दिनांक 28.06.1998 के द्वारा जमीन उपलब्ध कराया गया है। जिस पर कौशिल उ.मा.वि. कोरबा का संचालन 1998 से संचालन किया जा रहा है।

कार्यालयीन पत्र क्र. 7702/शिकायत जॉच/2024–25 कोरबा दिनांक 16.12.2024 के तहत् SECL द्वारा जारी पत्र क्र. SECL/CGM/KB/PM/DEP/ESTB/98/7513 दिनांक 28.06.1998 का सत्यापन हेतु महाप्रबंधक कोरबा कॉलरी SECL कोरबा क्षेत्र जिला कोरबा को पत्र प्रेषित किया गया था। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड क्षेत्रीय महाप्रबंधक SECL कोरबा क्षेत्र के द्वारा इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है कि उपरोक्त पत्र से संबंधित कोई भी जानकारी कार्यालयीन दस्तावेज मे उपलब्ध नहीं है।

श्री सुनील कुमार मिश्रा वार्ड क्र. 14 पम्प हाउस कालोनी कोरबा के द्वारा भी पूर्व में जनसूचना अधिकारी महाप्रबंधक SECL कोरबा को निम्नानुसार 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी।
1) कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) रजि.नं.वि.ख.–657 स्कूल कोड332023 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल के संचालन के लिए पत्र संदर्भ क्रमांक– SECL/CGM/KB/PM/DEP/ESTB/98/7513, SUB-Permission for Administrate of your Tulsi Nagar, Korba जारी करने के आधार की जानकारी।
2) उक्त भूमि एस.ई.सी.एल. से नजूल भूमि होने पर उक्त– Permission रद्द किए जाने संबधी दस्तावेजों की जानकारी।
3) उक्त– Permission के लिए स्कूल प्रबंधन के द्वारा SECL के पास दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

उक्त पत्र के संबंध में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड महाप्रबंधक SECL कोरबा क्षेत्र के द्वारा अपने पत्र क्र/405/ दिनांक 14.07.2023 को श्री सुनील कुमार मिश्रा को जानकारी दिया गया है कि बिंदु क्रमांक 01 से 03 तक की जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

(2)

गौरव युवा मण्डल तुलसी नगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उच्च माध्य. विद्या. तुलसी नगर का संचालन विगत कई वर्षों से बच्चों के पालकों व विभाग को धोखे में रखकर नियमानुसार मान्यता प्राप्त कर संचालन नहीं किया जा रहा है। आपके द्वारा कक्षा KG-1 से 11वीं तक संस्था की दर संख्या 122 दिया गया है, जबकि यूडाईस के अनुसार उक्त संख्या 103 दिखा रहा है। आपके द्वारा SECL के उक्त फर्जी पत्र के आधार पर स्कूल का संचालन किया जा रहा है।

अतः आप उक्त भूमि पर संचालित कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर कोरबा को एक माह के अन्दर SECL कोरबा क्षेत्र से शाला संचालन के लिए नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें या अपने स्वामित्व की भवन में शाला का संचालन सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके संस्था में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को नजदीकी शालाओं में स्थानांतरित किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

कोरबा दिनॉक 17/01/2025

पृ. क्र./8739 /शिकायत /2024–25
प्रतिलिपिः–

1. महाधिवक्ता, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर महोदय कोरबा को सादर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
6. विकास खंड शिक्षा अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ।
7. श्री सौरभ अग्रवाल पिता स्व. बलबीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी अग्रसेन मार्ग मेन रोड कोरबा तहसील एवं जिला कोरबा को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरबा (छ.ग.)

कोरबा दिनॉक 28/02/2025

क्र./9689/शिकायत /2024–25

प्रति

श्री अरूण कौशिल,
प्राचार्य, कौशिल उ.मा.वि. तुलसीनगर,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :–कौशिल हायर सेकेण्डरी स्कूल तुलसीनगर कोरबा के संचालन के संबंध में।
संदर्भ :–1 कार्यालयीन पत्र कमॉक/ 8738/ शिकायत/2024–25 कोरबा दिनॉक 17.01.2025
संदर्भ :–2 कार्यालयीन पत्र कमॉक/ 9411/ शिकायत/2024–25 कोरबा दिनॉक 18.02.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको गौरव युवा मण्डल तुलसी नगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उच्च माध्य. विद्या. तुलसी नगर कोरबा में अध्ययनरत् बच्चों को उनके पालकों के सहमति के आधार पर अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करने हेतु पत्र जारी किया गया था लेकिन आपके द्वारा उक्त पत्रों का जवाब आज पर्यन्त नहीं दिया गया है।

अतः आप तीन दिवस के भीतर आपके विद्यालय में अध्ययनररत् कक्षावार बच्चों के पालकों के नाम, निवास का पता मोबाईल नम्बर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। जिससे कि बच्चों के परीक्षा समाप्ति उपरान्त इन्हें अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सके। उक्त पत्र को प्राथमिकता देते हुए समय–सीमा में जानकारी उपलब्ध करावें अन्यथा आपके विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्र./9690/शिकायत /2024–25 कोरबा दिनॉक 28/02/2025

प्रतिलिपिः–

1. महाधिवक्ता, छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर महोदय कोरबा को सादर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
6. विकास खंड शिक्षा अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ।
7. श्री सौरभ अग्रवाल पिता स्व. वलवीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी अग्रसेन मार्ग मेन रोड कोरबा तहसील एवं जिला कोरबा को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरबा (छ.ग.)

क्र./ 332 /मान्यता/2025–26 कोरबा, दिनॉक 16 /04/2025

प्रति,

श्री अरूण कौशिल,
प्राचार्य, कौशिल उ.मा.वि.तुलसीनगर,
कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषयः– गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर का संचालन बंद करने बाबत्।

संदर्भः–1.कार्यालयीन पत्र कं./7178/शिकायत जॉच/2024–25 कोरबा दिनॉक 02.12.2024
2.कार्यालयीन पत्र कं./8738/शिकायत/2024–25 कोरबा दिनॉक 17.01.2025
3.कार्यालयीन पत्र कं./9689/शिकायत/2024–25 कोरबा दिनॉक 28.02.2025
4.कार्यालयीन पत्र कं./46/मान्यता/2024–25 कोरबा दिनॉक 02.04.2025

––00––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर का संचालन किया जा रहा है, जिसकी संचालन हेतु मान्यता से संबंधित दस्तावेज जमा करने हेतु आपको कई बार पत्र जारी किया गया है। आपको स्कूल संचालन हेतु तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी/उप संचालक, शिक्षा जिला जॉजगीर द्वारा जारी मान्यता से संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति तीन दिवस के भीतर इस कार्यालय में जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। आपके द्वारा मान्यता से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही मान्यता हेतु नवीन आवेदन जमा किया गया है। आज दिनॉक तक उपरोक्त वाछिंत मान्यता संबंधी आदेश प्रस्तुत नहीं करने एवं लगातार विभागीय निर्देशों की अवहेलना व छ.ग. शिक्षा संहिता अध्याय 3 की कंण्डिका 33 के अंतरर्गत अशासकीय शाला खोलने की अनुज्ञा आवेदन पत्र के कंण्डिका 3 एवं 4 के उल्लंघन करने के कारण आपके द्वारा संचालित कौशिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसीनगर कोरबा का संचालन बंद करने हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। जिसकी जिममेदार आप स्वंय होगें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्र./334 /मान्यता /2025–26 कोरबा, दिनॉक 16/04/2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंन्द्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर महो. कोरबा को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीकक्षक जिला कोरबा को सादर सूचनार्थ ।
5. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
6. उपसंचालक, जन संपर्क को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरबा (छ.ग.)

क्र./3291ST/मान्यता /2025–26 कोरबा दिनॉक 15/07/2025

प्रति

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल पेंशनबाड़ा,

रायपुर (छ.ग.)

विषय–कौशिल हायर सेकेण्डरी स्कूल तुलसीनगर कोरबा के मान्यता के संबंध में।

संदर्भः–प्राचार्य सह जॉच समिति एनसीडीसी विद्यालय कोरबा का जॉच प्रतिवेदन दिनॉक 18.06.2025

--00--

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर कोरबा के द्वारा संचालित कौशिल उच्च.मा.वि.तुलसीनगर (शाला कोड कं. 332029) को हाईस्कूल परीक्षा हेतु दिनॉक 01.07.2008 से 30.06.2025 एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु दिनॉक 01.07.2018 से 30.06.2025 तक आपके द्वारा मान्यता दिया गया है। संस्था की मान्यता वृध्दि प्रमाण पत्र में दी गई शर्तो के आधार पर तीन सदस्यीय जॉच समिति गठित कर जॉच कराया गया है। जॉच समिति द्वारा दिनॉक 18.06.2025 को संस्था में उपस्थित होकर जॉच की कार्यवाही की गई। जो निम्नानुसार हैः–

1. समिति/प्राचार्य द्वारा भवन का किराया नामा नक्शा बी.1 खसरा अथवा स्वयं/समिति का भूस्वामित्व संबंधी दस्तावेज जॉच समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. विद्यालय में अध्यापन करने हेतु केवल पॉच शिक्षक ऐसे है जो शिक्षकीय पद की योग्यता रखते है।
3. विद्यालय नर्सरी से कक्षा 12वीं तक कुल 15 कक्षाऐ संचालित हो रही है जिसमें वर्ष 2022 में 131 वर्ष 2023 में 129 वर्ष 2024 में 115 बच्चों की जानकारी दिया गया है, जिनकी अध्यापन हेतु केवल चार कमरे है। 15 कक्षों को चार कमरों में अध्यापन कराया जाना संभव नहीं है, 06 कमरे जर्जर स्थिति में है।
4. शिक्षकों को मानदेय नगद भुगतान किया जाता है, जुलाई 2022 में चार शिक्षकों को जुलाई 2023 में 07 शिक्षकों एवं जुलाई 2024 में 05 शिक्षकों को मानदेय भुगतान की जानकारी दिया गया है। शेष माह का नहीं दिया गया है। न ही मानदेय वितरण पंजी उपलब्ध कराया गया है।
5. आरटीई के तहत् शासन से विगत तीन वर्षो (2022–23,2023–24 एवं 2024–25) क्षतिपूर्ति शुल्क राशि का आडिट कराया गया है।
6. यूडाईस अनुसार दर्ज 125 छात्र/छात्राओं में से 67 छात्र/छात्राओं का आपार आईडी जनरेट हो चुका है शेष 58 छात्र/छात्राओं का आपार आईडी जनरेट होना बाकी है।
7. प्राचार्य कौशिल उ.मा.वि.द्वारा सत्र 2023–24 में अध्ययनरत कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की कक्षावार 129 छात्र/छात्राओं की सूची दी गई है, जिसमें 43 छात्र/छात्रा आर.टी.ई में प्रवेशित है। जबकि संस्था को आर.टी.ई. पोर्टल की दावा प्रति पूर्ति वर्ष 2023–24 की सूची में 56 छात्र/छात्राओं की राशि जारी की गई है। इस प्रकार 13 छात्र/छात्राओं की जानकारी 2023–24 में अध्ययनरत बच्चों की सूची में सम्मिलित नहीं है। उक्त 13 बच्चें की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्रं.	छात्र का नाम	पालक का नाम	कक्षा	दाखिला वर्ष	कुल राशि	वसूली योग्य कुल राशि
1	भाव्या कंवर	सीता राम कंवर	1ली	2021–22	5019/–	15057/– लगभग
2	पीहू महन्त	राजेश दास	1ली	2021–22	5019/–	15057/–
3	महादेव हलधर	बबलू हलधर	3री	2019–20	5854/–	29270/–
4	सोनम चौहान	पवन चौहान	3री	2019–20	5854/–	29270/–
5	शिवम	राज बहादूर	4थी	2018–19	6092/–	36552/–
6	आयान साहू	दीपक कुमार साहू	5वीं	2019–20	6373/–	31865/–
7	मेघा यादव	अजय यादव	5वीं	2017–18	6373/–	44611/–
8	रोशन साहू	संतोष	6वीं	2016–17	6556/–	52448/–
9	सौम्यल गिरी	संतोष ग्रहण लाल	6वीं	2016–17	6556/–	52448/–
10	अर्यान जागड़े	ओम प्रकाश	7वीं	2014–15	7291/–	72910/–
11	ज्योति चतुर्वेदी	राजकुमार चतुर्वेदी	8वीं	2016–17	7571/–	60568/–
12	अतुल समुद्रे	परशु राम समुद्रे	10वीं	2014–15	7614/–	76140/–
13	मोहनी समुद्रे	बबलू समुद्रे	10वीं	2014–15	7614/–	76140/–

Scanned with OKEN Scanner

(64)

इसी प्रकार 2022–23 में कक्षा 9वी से 12वीं की उपस्थिति पंजी में कक्षा 12वीं में दर्ज संख्या 10 है। जिसमें से आर.टी.ई. में प्रवेशित छात्र 03 है, जबकि पोर्टल की दावा प्रति पूर्ति वर्ष 2022–23 की सूची में कक्षा 12वी में प्रवेशित छात्र की संख्या 08 है। इस प्रकार 05 छात्र/छात्राओं की जानकारी 2022–23 में अध्ययनरत बच्चों की सूची में सम्मिलित नहीं है। उक्त 05 बच्चें की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	छात्र का नाम	पालक का नाम	कक्षा	दाखिला वर्ष	कुल राशि	वसूली योग्य कुल राशि
1	आकाश रजक	सरजू रजक	12वीं	2011–12	8500/–	110500/–
2	मिनाक्षी तिवारी	तारकेश्वर तिवारी	12वीं	2012–13	8500/–	102000/–
3	निकिता सहिस	मिथलेश	12वीं	2011–12	8500/–	110500/–
4	साक्षी जांगड़े	जगत जांगड़े	12वीं	2011–12	8500/–	110500/–
5	श्रुति घृतलहरे	पंचराम घृतलहरे	12वीं	2011–12	8500/–	110500/–

लगभग वसूली योग्य कुल राशि 1136336/–

गौरव युवा मण्डल तुलसीनगर कोरबा द्वारा संचालित कौशिल उ.मा.वि.तुलसीनगर को आपके द्वारा मान्यता वृध्दि हेतु जारी की गई मान्यता प्रमाण पत्र में दी गई किसी भी शर्तो का पालन नहीं किया गया है। साथ ही आर.टी.ई. पोर्टल एवं उपस्थिति पंजी 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 का परीक्षण करने पर संस्था के द्वारा फर्जी छात्र/छात्राओं का नाम सम्मिलित कर लगभग 1136336/– रूपये शासन को वित्तीय क्षति पहुँचाया गया है। प्राचार्य द्वारा कौशिल उ.मा.वि.द्वारा फर्जी तरीके से छात्र/छात्राओं का सम्मिलित कर आर.टी.ई. से प्राप्त राशि का वसूली करते हुये संस्था की मान्यता समाप्त करने हेतु आपकी ओर सादर प्रेपित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्र. /3296 / मान्यता /2025–26
कोरबा दिनॉक 15/07/2025

प्रतिलिपिः–

1. संचालक,लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर महोदय कोरबा को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरबा (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner